




रायपुर विकास प्राधिकरण

भक्त माताकर्मा व्यावसायिक परिसर, न्यू राजेन्द्रनगर रायपुर (छत्तीसगढ़) 492006

इन्द्रप्रस्थ फेस-02 रायपुरा के अंतर्गत
प्रधानमंत्री योजना के तहत ई.डब्ल्यू.एस.निर्माणाधीन प्लैट हेतु निविदा आवेदन पत्र

क्रमांक

दिनांक



पासपोर्ट साईज
फोटो

आवेदक/निविदादाता

का नाम

निविदा प्रपत्र का मूल्य 500/- (पांच सौ रुपये) की राशि रसीद

क्रं..... बुक क्रं.

दिनांकद्वारा जमा की गई

मुहर

(कैशियर के हस्ताक्षर)

निविदादाता/आवेदक द्वारा भरा जाना है

1. आवेदक/निविदादाता का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. (अ) आयु
- (ब) व्यवसाय
4. (स) वार्षिक आय
5. आवेदक का पत्र व्यवहार का पूर्ण स्थाई पता :-
 - अ. निवास का पूर्ण पता
 - ब. व्यवसायिक पता
 - स. दूरभाष/मोबाईल नं.
 - द. मेल आईडी
 - इ. आधार कार्ड नं.(अनिवार्य).....

6. अर्नेस्ट मनी एवं फार्म शुल्क जमा करने का विवरण :-

अ. जमा की गई राशि

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

राशि शब्दों में

ब. बैंक ड्राफ्ट/पे.आर्डर/बैंकर्स चेक का विवरण :-

क्र०	विवरण	आवेदक द्वारा भरा गया विवरण
1.	जारी करने वाले बैंक का नाम	
2.	शाखा	
3.	शहर	
4.	क्रमांक एवं दिनांक	क्रमांक..... दिनांक.....

7. आवेदक / निविदादाता द्वारा चाहे गए फ्लैट के लिए निम्नानुसार प्रवृष्टियां की जावें

सरल क्रमांक	ब्लॉक क्रमांक	फ्लैट क्रमांक	आवेदक/निविदादाता द्वारा प्रस्तावित मूल्य	आवेदक के हस्ताक्षर
			अंको में शब्दों में	

घोषणा

मैं रायपुर विकास प्राधिकरण की इन्द्रप्रस्थ फेस-02 रायपुरा योजना के अंतर्गत उपर बताए गए फ्लैट को अपनी निविदा में प्रस्तावित अंकित मूल्य पर क्रय करना चाहता हूं। निविदा द्वारा फ्लैट आबंटन प्राप्त न होने पर मेरा/हमारा कोई दावा नहीं होगा। संलग्न नियम भातों पर मेरे/हमारे द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।

हस्ताक्षर -

निविदादाता का नाम -

—:शपथ पत्र:—

मैं वचन देता हूँ/देती हूँ कि मुझे ई.डब्ल्यू.एस.—1बी.एच.के.(प्रकोष्ठ) आबंटन होने की स्थिति में :-

1. उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1 से 39 तक सभी नियम/शर्तें मेरे द्वारा पढ़कर समझ ली है। मुझे समझा दी गई है। मान्य है। मैं उक्त नियम/शर्तों का पालन करने वचन देती/देता हूँ।
2. मैं भवन का उपयोग केवल आवास हेतु करूंगी/करूंगा।
3. मैं प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किश्त एवं अन्य प्रभार जो समय-समय पर भारित होंगे, का नियमित रूप से भुगतान करूंगा।
4. मैं शासन/स्थानीय शासन द्वारा निर्धारित प्रभार/कर आदि का नियमित रूप से भुगतान करूंगा।
5. मेरे अथवा परिवार के किसी भी अन्य सदस्य के नाम पर भवन, आवासीय भूखण्ड अथवा प्रकोष्ठ भवन नहीं है अथवा आबंटन हेतु परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा पंजीयन नहीं कराया गया है।
6. भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन या तोड़-फोड़ नहीं करूंगा।
7. आवेदन पत्र में उल्लेखित समस्त नियम/शर्तें मुझे मान्य है। सभी प्रकार के प्राधिकरण के नियमों का पालन करूंगा।
8. मेरी/मेरे परिवार की वार्षिक आय.....रूपये हैं।
9. मैं.....जिला.....में विगत.....वर्षों से निवास कर रहा हूँ/रही हूँ।

आवेदिका/आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

पिता/पति

पता

फोन नं. मो.नं.

इंद्रप्रस्थ योजना फेस-2, रायपुरा

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत लाभ हेतु आवेदन पत्र

1. (अ) आवेदिका/आवेदक का नाम
- (ब) परिवार के मुखिया का नाम
2. [लिंग पुरुष: 01, महिला: 02, तृतीय लिंग: 03]
3. पिता का नाम
4. वर्तमान पता और संपर्क ब्यौरा

	i	मकान सं./वार्ड क्रमांक	<input style="width: 95%;" type="text"/>
	ii	स्लम का नाम/मुहल्ला का नाम	<input style="width: 95%;" type="text"/>
	iii	शहर	<input style="width: 95%;" type="text"/>
	iv	मोबाईल नं.	<input style="width: 95%;" type="text"/>
5. स्थाई पता

	i	मकान/फ्लैट/द्वार सं.	<input style="width: 95%;" type="text"/>
	ii	गली का नाम	<input style="width: 95%;" type="text"/>
	iii	शहर/गांव	<input style="width: 95%;" type="text"/>
	iv	जिला, राज्य	<input style="width: 95%;" type="text"/>
6. मौजूदा मकान का मालिकाना ब्यौरा
[स्वामित्व – 01, किराया –02, अन्य – 03]
7. छत के आधार पर मकान का प्रकार
[पक्का (सीमेंट कंक्रीट और पत्थर वाला)–01, अर्द्ध–पक्का (सीमेंट की चादर/स्टील की चादर, टाइल से बने हुए)–02, कच्चा (घास/छप्पर, तिरपाल, लकड़ी से बना)–03]
8. रसोईघर को छोड़कर रिहायशी इकाई में कमरों की संख्या
9. आधार कार्ड संख्या (यदि उपलब्ध नहीं है तो)
मतदाता पहचान पत्र/कोई अन्य विशिष्ट पहचान संख्या अथवा लाभार्थी के मूल निवास जिले के राजस्व प्राधिकारी से मकान स्वामित्व का प्रमाण-पत्र)

10. परिवार के सदस्यों की संख्या और आयु

परिवार के सदस्य का नाम	परिवार के मुखिया से संबंध	लिंग	आयु	आधार/मतदाता पहचान पत्र/कोई अन्य विशिष्ट पहचान संख्या अथवा लभार्थी के मूल निवास जिले के राजस्व प्राधिकारी से मकान स्वामित्व का प्रमाण -पत्र

11. धर्म

[हिन्दू-01, मुस्लिम-02, इसाई-03, सिक्ख-04, जैन-05, बौद्ध-06, पारसी-07, अन्य (उल्लेख करें)]

12. जाति

[सामान्य-01, अनुसूचित जाति-02, अनुसूचित जनजाति-03, अन्य पिछड़ा वर्ग-04]

13. बैंक का ब्यौरा

क. बैंक खाता संख्या

ख. बैंक और शाखा का नाम

14. इस कस्बे शहर में रहने की वर्षों में संख्या

[0 से 01 वर्ष-01, 1 से 03 वर्ष -02, 3 से 5 वर्ष-03, 5 से अधिक-04]

15. मौजूदा रिहायशी इकाई का आकार (कारपेट क्षेत्र वर्ग मीटर में)

16. क्या आप परिवार के पास भारत में कहीं भी अपना मकान/रिहायशी भूमि है? (हां/नहीं)

क. यदि हां, तो स्थान का ब्यौरा दें।

(बस्ती/शहर/राज्य)

ख. यदि हां, तो वर्ग मीटर में भूमि का ब्यौरा दें।

17. रोजगार की स्थिति

(स्व-रोजगार-01, वेतनभोगी-02, नियमित मजदूरी-03, मजदूर-04, अन्य-05)

18. परिवार की औसत आय (रूपए में)

19. क्या परिवार के पास बीपीएल कार्ड है (हां/नहीं)
क. यदि हां, बीपीएल कार्ड संख्या दें।

20. परिवार की आवास आवश्यकता
(नया घर-01, वृद्धि-02)

21. वृद्धि के सामने में कृपया अपेक्षित वृद्धि का उल्लेख करें।
[एक कमरा/रसोई घर/स्नान घर/शौचालय
अथवा ये सभी संयुक्त रूप से]

22. मिशन के घटक की प्राथमिकता जिसके अंतर्गत सभी के
लिए आवास (एचएफए) के तहत लाभार्थी को सहायता
की आवश्यकता है।

i ऋण से जुड़ी सब्सिडी-01

ii भागीदारी में किफायती आवास-02

iii स्व-निर्माण-03

परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

नोट: अपात्र स्लम वासियों और उन स्लमों के लाभार्थियों के लिए ऐसे ही प्रारूप का उपयोग किया जायेगा जिनके लिए "सभी के लिए आवास" स्कीम के दिशानिर्देशों के पृष्ठ सं. 24 पर सभी के लिए आवास कार्य योजना के फ्लोट-चार्ट प्रक्रिया के अनुसार निजी भागीदारी के माध्यम से स्लम पुनर्विकास के लिए विचार नहीं किया गया है।

उपर्युक्त सूचना के शहरी स्थानीय निकाय प्रभारी
के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर



रायपुर विकास प्राधिकरण

भक्त माताकर्मा व्यावसायिक परिसर, न्यू राजेन्द्रनगर रायपुर (छत्तीसगढ़) 492006

इन्द्रप्रस्थ फेस-02 रायपुरा के अंतर्गत
प्रधानमंत्री योजना के तहत निर्माणाधीन फ्लैटो हेतु

निविदा से विक्रय के नियम एवं शर्ते

1. आवेदन पत्र प्रति दिन कार्यालयीन दिवस में सुबह 10.30 से शाम 3.00 बजे तक एवं शनिवार को दोपहर 1.00 बजे तक शासकीय अवकाश को छोड़कर प्राप्त किये जा सकेंगे। निविदा प्रपत्र प्रति दिन भाम 3.00 बजे तक जमा कराये जा सकेंगे एवं निविदा दिवस को निविदा प्रपत्र 12:00 बजे तक ही जमा होगा। निविदा प्रति गुरुवार को 2.00 बजे खोली जावेगी। प्रत्येक निविदा के पश्चात भोश बचे फ्लैटों के लिए आवेदन फार्म का विक्रय एवं निविदा जमा करने की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। प्रत्येक गुरुवार को 2.00 बजे निविदा खोले जाने के पश्चात् भोश रिक्त फ्लैटों की सूची प्राधिकरण के सूचना पटल एवं वेब साईट www.rdaraipur.com पर अपडेट कर दी जावेगी। प्रथम निविदायें दिनांक 12.09.2019 को शाम 2.00 बजे कार्यालय के सभा कक्ष में निविदादाताओं की उपस्थिति में खोली जावेगी।
2. आवेदन-पत्र को रायपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.rdaraipur.com से भी डाउनलोड किया जा सकता है। ऐसे डाउनलोड किए गए सभी आवेदन पत्रों के साथ 500/- रु. मूल्य का डिमांड ड्राफ्ट, जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर के नाम से देय हो, संलग्न करना आवश्यक होगा, साथ ही संबंधित दस्तावेजो एवं पंजीयन राशि का विवरण भी संलग्न करना होगा।
3. निविदा एक ही लिफाफे में जमा करनी होगी। निर्धारित धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट एवं निविदा प्रपत्र एक ही लिफाफे में डालकर प्रस्तुत करना होगा। लिफाफे के ऊपर दिये गये प्रारूप अनुसार प्रविष्टि की जावे। (यदि आवेदन पत्र डाऊन-लोड किया गया हो तो आवेदन शुल्क 500.00 रुपये का बैंक ड्राफ्ट का विवरण भी धरोहर राशि वाले लिफाफे में संलग्न करना होगा)

निविदा के लिफाफे के ऊपर निम्नानुसार विवरण दिया जावे

“ इन्द्रप्रस्थ फेस-02 रायपुरा के अंतर्गत फ्लैट हेतु निविदा	
निविदादाता का नाम :-
फ्लैट का प्रकार :-
पता :-
मो0 नं0 :-

4. निविदा के लिए निर्धारित की गई धरोहर राशि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर के नाम पर देय बैंक ड्रॉफ्ट/पे-आर्डर/बैंकर्स चेक द्वारा ही स्वीकार की जावेगी जो निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न की जावेगी । बिना धरोहर राशि के निविदा स्वयंमेव निरस्त मानी जाएगी ।
5. मुहरबंद निविदाएं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, भक्तमाता कर्मा व्यावसायिक परिसर, द्वितीय तल, न्यू राजेन्द्रनगर, रायपुर छ.ग. में जमा की जा सकेगी ।
6. कोई भी निविदा आवेदन पत्र जिसमें निर्धारित आरक्षित मूल्य (आफसेट मूल्य) से कम राशि का प्रस्ताव होगा, स्वीकार्य नहीं होगा ।
7. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को रहेगा, चाहे ऐसी निविदा उच्चतम मूल्य की ही क्यों न हों ।
8. फ्लैट के आबंटन स्वीकृति की सूचना निविदाकर्ता को उनके लिखित पते पर पंजीकृत डाक से भेजी जाएगी । यदि डाक से पत्र वापस आ जाता है तो प्राधिकरण की जिम्मेदारी नहीं होगी तथा निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राधिकरण को आबंटन निरस्त करने एवं धरोहर राशि जब्त करने का अधिकार होगा ।
9. फ्लैट का आबंटन आदेश प्राप्त होने पर आदेशानुसार राशि जमा करनी होगी ।
10. निविदाएं प्रस्तुत हो जाने के पश्चात् प्रस्तुत निविदा वापसी/परिवर्तन से संबंधित कोई भी आवेदन स्वीकार योग्य नहीं होगा तथा उनकी निविदाएं प्रक्रिया में शामिल मानी जाएगी तथा उनके द्वारा प्रस्तुत निविदा यदि सफल होती है तो आबंटन स्वीकार न करने पर धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी ।
11. आबंटिती को भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन, स्थानीय संस्थाओं एवं अन्य शासकीय विभागों द्वारा समय-समय पर अधिरोपित समस्त करों का भुगतान स्वयं करना होगा ।

12. आबंटिती को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973, भूमि विकास नियम व उसके अधीन शासन द्वारा समय-समय पर बनाये गए नियम, उपनियम, आदेश-निर्देश, संकल्प आदि का पालन करना अनिवार्य होगा ।
13. निविदा के नियम एवं शर्तों से उद्धृत किन्हीं विवादों के संबंध में अथवा उभय पक्ष के मध्य उत्पन्न किसी विवाद के संबंध में अध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष पंच निर्णय (आर्बिट्रेशन) हेतु सौंपा जायेगा । ऐसे विवाद का निपटारा अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा, जिसका निर्णय सभी पक्षों को मान्य होगा । निविदादाता को पंच नियुक्त किये जाने के संबंध में आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा, भले ही ऐसा पंच (आर्बिट्रेशन) रायपुर विकास प्राधिकरण का कोई अधिकारी ही क्यों न हो ।
14. अन्य जानकारी रायपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय से कार्यालयीन अवधि में मार्केटिंग भाखा से प्राप्त की जा सकती है ।
15. इन्द्रप्रस्थ फेस-02 रायपुरा ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट के संबंध में विस्तृत जानकारी मोबाईल नं. 9303809128 पर अथवा E-mail : info.rdaraiipur@gmail.com पर ली जा सकती है ।
16. फ्लैट हेतु निविदा प्रपत्र के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र भक्त माता कर्मा परिसर न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर (छ.ग.) से रूपये 500/- नगद भुगतान कर प्राप्त कर सकते हैं ।
17. आवेदन पत्र के साथ ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट हेतु रूपये 10,000/- धरोहर राशि बैंकर्स चेक/डी.डी./पे-ऑर्डर के माध्यम से भक्त माता कर्मा परिसर न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर (छ.ग.) में बंद लिफाफे में जमा करना होगा ।
18. धरोहर राशि फ्लैट के मूल्य में समायोजित की जावेगी । निविदा स्वीकृत होने के बाद जमा धरोहर राशि वापस चाहने पर धरोहर राशि वापस नहीं करते हुए राजसात कर ली जावेगी । यदि किश्त की राशि भी जमा है तो नये निविदा पर आबंटन पश्चात् किश्त की राशि प्राधिकरण को प्राप्त होने के बाद ही किश्त की राशि बिना जीएसटी के वापस की जायेगी ।
19. ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट हेतु परिवार की वार्षिक आय सीमा रु. 3,00,000/- (रूपये तीन लाख) तक पात्रता मापदण्ड हितग्राहीओं को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
20. आबंटन होने के पश्चात् किश्तें निर्धारित समय पर जमा करने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी हितग्राही की होगी, इस हेतु पृथक से कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा । निर्धारित समय पर किश्त प्राप्त न होने की दशा में नियमानुसार विलंबित अवधि के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा । किश्त जमा करने की तालिका आबंटन आदेश में उल्लेखित की जायेगी ।
21. निर्धारित प्रारूप में नोटरी से सत्यापित शपथ-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें ।
22. (अ) भवन पंजीयन/आबंटन परिवार के महिला सदस्य के नाम पर किया जावेगा । महिला आवेदक या महिला आवेदक के परिवार के साथ संयुक्त नाम पर भी आबंटन किया जा सकता है, परिवार में व्यस्क महिला ना होने कि स्थिति में पुरुष आवेदन कर सकते हैं । आवेदक के नाम पर अन्य कोई पक्का भवन/मकान नहीं होना चाहिए ।

आवेदक शहरी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। अर्थात् नगर पंचायत, नगर पालिक निगम के क्षेत्र का निवासी होना चाहिए।

(ब) पंजीयनकर्ता प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत लाभ लेना चाहता है तो अनुदान प्राप्त करने हेतु संलग्न निर्धारित प्रपत्र "ख" में जानकारी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावें। विस्तृत जानकारी www.mhupa.gov.in में उपलब्ध है।

23. स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत प्रस्तावित प्रकोष्ठ भवनों का विक्रय विलेख पंजीयन कार्यालय में नियमों तहत किया जावेगा। भवनों में निर्माण हेतु स्ववित्तीय योजना अंतर्गत निर्धारित तालिका में जो राशि विभिन्न तिथियों पर भुगतान हेतु निर्धारित है, निर्धारित समय पर देना होगा। विलंब हेतु नियमानुसार 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा।
24. प्रकोष्ठ भवनों में भूतल पर कवर्ड पार्किंग का प्रावधान रखा गया है, उसका उपयोग संबंधित ब्लॉक के आबंटिती सामूहिक रूप से बिना विवाद के पार्किंग का उपयोग करेंगे।
25. कॉलोनी निर्मित होने के 18 माह के भीतर कालोनी स्थानीय निकाय को हस्तांतरित करने का प्रयास किया जायेगा। अन्यथा कि स्थिति में समस्त हितग्राहियों को मिलकर फर्म एवं सोसायटी एक्ट के अंतर्गत सोसायटी के गठन कर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। प्रकोष्ठ भवनों की सामूहिक व्यवस्थाओं के बाह्य रख-रखाव हेतु भवन के विक्रय मूल्य का 7.50 प्रतिशत अतिरिक्त राशि एक मुश्त ली जावेगी। पंजीकृत सोसायटी को रख-रखाव मद में जमा राशि में से व्यय की गई राशि काटकर शेष राशि प्राधिकरण के नियमानुसार प्रदान किया जायेगा। रख-रखाव हेतु प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार कार्य किये जायेंगे।
 1. बाह्य साफ सफाई, कचरा उठाने का कार्य एवं नाली सफाई कार्य।
 2. स्ट्रीट लाईट एवं लिफ्ट का संधारण कार्य।
 3. बाह्य सीवर पाईपलाईन एवं रेनवाटर हॉर्वेस्टिंग पाईप का संधारण कार्य।
 4. संयुक्त सेप्टिक STP का कार्य।
 5. संयुक्त वाटर टैंक का सफाई कार्य।
 6. भवन के रख-रखाव के अंतर्गत बाह्य प्लास्टर रिपेयरिंग कार्य तथा प्रति 02 वर्ष में बाहरी सतहों में पुताई का कार्य।
 7. गार्डन का रख-रखाव का कार्य।
26. पत्र व्यवहार हेतु आवेदक अपना पता फोन नं./मोबाईल नं. ई-मेल आईडी स्पष्ट रूप से आवेदन फार्म में अंकित करें। अधूरे एवं गलत पते के कारण अथवा डाक व्यवस्था के कारण सूचना नहीं मिलने पर जवाबदारी रायपुर विकास प्राधिकरण की नहीं होगी। यदि पत्र व्यवहार के पते में परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना तुरंत हितग्राहियों द्वारा देना अनिवार्य होगा। अन्यथा किसी प्रकार के पते के कारण विवाद उत्पन्न होने पर रायपुर विकास प्राधिकरण की कोई जवाबदारी नहीं होगी।
27. उक्त योजनांतर्गत प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर लागू किए गए नियम एवं शर्त को मानने के लिए आवेदक बाध्य रहेगा।
28. फ्लैट भवन पूर्ण होने के पश्चात् निर्धारित समयावधि में हितग्राही, यदि फ्लैट का आधिपत्य प्राप्त नहीं करते हैं तो फ्लैट भवन में सुरक्षा हेतु प्राधिकरण के नियमानुसार निर्धारित दर से सुरक्षा शुल्क देय होगा।

29. आधिपत्य अधिपत्र जारी होने के 15 दिवसों के भीतर फ्लैट का आधिपत्य प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा टूट-फुट की जिम्मेदारी स्वयं हितग्राही की होगी।
30. ऐसे निविदादाता जो शासन व वित्तीय संस्था से फ्लैट क्रय करने हेतु ऋण प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें प्राधिकरण द्वारा निर्धारित ऋण प्रमाण-पत्र मांग अनुसार प्रदाय किया जायेगा, किन्तु तालिका में निर्धारित राशि जमा करने की तिथियों को शिथिल नहीं किया जावेगा एवं तदानुसार निश्चित दिनांक को रकम जमा करने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- 31.(अ) गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स पृथक से देय होगा। स्थानीय निकाय, राज्य शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा यदि कोई अन्य शुल्क प्रभारित किया जाता है, तो वह भी पृथक से देय होगा।
- (ब) हितग्राहियों को प्रकोष्ठ भवन आधिपत्य लेने के पश्चात् स्वयं के व्यय से विद्युत कनेक्शन विद्युत विभाग में शुल्क जमा कर प्राप्त करना होगा।
- (स) निर्धारित जल शुल्क नियमित रूप से पृथक से जमा करना होगा।
32. प्रकोष्ठ भवन के डिजाईन तथा स्पेशीफिकेशन प्राधिकरण द्वारा ही तय किये जायेंगे, स्पेशीफिकेशन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिये प्राधिकरण स्वतंत्र है इसमें व्यक्तिगत अथवा सामूहिक आवेदन पत्रों के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जायेगा एवं न ही कोई दावा मान्य होगा।
33. अन्य जानकारी रायपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय से कार्य अवधि में प्राप्त की जा सकती है एवं प्राधिकरण, की वेबसाईट www.rdaraiipur.com में देखा जा सकता है।
34. प्रकोष्ठ भवन आबंटन के उपरांत किसी भी अपरिहार्य कारणों से आबंटन रद्द करने हेतु प्राधिकरण स्वतंत्र होगा।
35. इस आवेदन-पत्र में आवेदक द्वारा दी गई जानकारी असत्य साबित होने पर प्राधिकरण को अधिकार होगा कि आबंटन निरस्त कर दें। ऐसी स्थिति में पंजीयन राशि में 20 प्रतिशत की कटौती (10 प्रतिशत प्रथम किश्त की राशि में) कर शेष राशि बिना ब्याज के वापसी योग्य होगी।
36. पंजीयन/आबंटन से संबंधित किसी भी विवाद के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
37. प्राधिकरण में प्रचलित अन्य नियम फ्लैट आधिपत्य के पश्चात या पहले सभी हितग्राहियों को मान्य होंगे एवं उनके अनुसार ही कार्यवाही की जावेगी।
38. फ्लैट का आधिपत्य 3 वर्ष अथवा निर्माण कार्य पूर्ण होने पर दिया जायेगा।
39. फ्लैट का पूर्ण मूल्य निर्धारित किश्तों में हितग्राही को देना होगा, किन्तु फ्लैट का आधिपत्य निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात दिया जावेगा। निर्धारित किश्तों की तालिका आबंटन आदेश के साथ दी जावेगी।

टीप :-

1. जहाँ-जहाँ प्राधिकरण का जिक्र किया गया है। उसका आशय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण से है।
2. परिवार का आशय पति/पत्नी एवं उनके आश्रित अविवाहित बच्चे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
रायपुर विकास प्राधिकरण
रायपुर (छ.ग.)

PMAY- INDRAPRASTHA PHASE-2 RAIPURA, EWS 1472 FLATS VACANT LIST

S. NO.	BLOCK NO.	FLAT NO.	VALUE IN LAKHS
1	A	203	4.79
2	A	207	4.79
3	A	224	4.79
4	A	428	4.79
5	A	507	4.79
6	A	517	4.79
7	A	601	4.79
8	A	613	4.79
9	A	624	4.79
10	A	731	4.79
11	A	804	4.79
12	A	809	4.79
13	A	810	4.79
14	A	815	4.79
15	B	209	4.79
16	B	211	4.79
17	B	410	4.79
18	B	413	4.79
19	B	501	4.79
20	B	522	4.79
21	B	604	4.79
22	B	612	4.79
23	B	706	4.79
24	B	712	4.79
25	B	713	4.79
26	B	820	4.79
27	B	828	4.79
28	C	313	4.79
29	C	324	4.79
30	C	405	4.79
31	C	408	4.79
32	C	512	4.79
33	C	513	4.79
34	C	603	4.79
35	C	609	4.79
36	C	823	4.79
37	D	109	4.79
38	D	201	4.79
39	D	209	4.79
40	D	306	4.79
41	D	309	4.79
42	D	502	4.79
43	D	509	4.79
44	D	522	4.79
45	D	604	4.79
46	D	708	4.79
47	D	711	4.79

48	D	720	4.79
49	E	206	4.79
50	E	418	4.79
51	E	516	4.79
52	E	522	4.79
53	E	523	4.79
54	E	604	4.79
55	E	605	4.79
56	E	723	4.79
57	E	808	4.79
58	F	113	4.79
59	F	114	4.79
60	F	210	4.79
61	F	211	4.79
62	F	413	4.79
63	F	423	4.79
64	F	615	4.79
65	F	621	4.79
66	F	803	4.79
67	G	618	4.79
68	G	707	4.79
69	G	716	4.79
70	G	816	4.79